न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, कोटा सभांग, कोटा

(निर्णय बईजलास श्री अनुराग भार्गव आर0ए0एस0 अतिरिक्त संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

पकरण संख्याः 91/2019/अपील/एल0आर0एक्ट/बूंदी
दायरा दिनांक 8.11.2019
किस्म अपीलः धारा 75 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956

उनवान

1. प्राचार्य औघोगिकी प्रशिक्षण संस्थान के0 पाटन जिला बूंदी–राजस्थान।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार के0 पाटन जिला बूंदी–राजस्थान।

.....अपीलार्थीगण.

बनाम

1. नाथूलाल आत्मज रामदयाल जाति माली निवासी–के0 पाटन तहसील के0 पाटन जिला बूंदी–राज0।

.....रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थित : श्री रामबाबू मालव अभिभाषक– अपीलार्थीगण
श्री प्रद्युमन शर्मा अभिभाषक– रेस्पो0

:: निर्णय ::

दिनांक 27.10.2021

अपीलार्थी द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी के0 पाटन जिला, बूंदी (संक्षिप्त मे अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा मिसल नं0 74/प्रा.पत्र/2015 बावत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत पत्थरगढी करवाने बउनवान नाथूलाल बनाम प्राचार्य औघोगिक प्रशिक्षण संस्थान के0 पाटन जिला बूंदी वगेरा मे पारित निर्णय दिनांक 30.7.2015 (संक्षिप्त मे अपीलाधीन निर्णय) की अप्रसन्नता से प्रथम अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम,1956 की धारा 75 अन्तर्गत रेस्पो0 के विरूद्ध इस न्यायालय मे पेश की गई।

1 अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पो0 नाथूलाल द्वारा उसके खाते की भूमि ग्राम व माल केशोरायपाटन के खसरा संख्या 1389 रकबा 1.12 है0 की पत्थरगढी करवाने हेतु प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय मे पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 30.7.2015 को प्रार्थना पत्र स्वीकार कर पत्थरगढी का आदेश पारित किया गया जिससे व्यथित होकर अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 अन्तर्गत न्यायालय हाजा मे इस आशय की पेश की गई कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट क्रम–2 का जवाब व मौका रिपोर्ट किये बिना जेरअपील आदेश पारित किया है। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के0 पाटन के भवन निर्माण बावत जिला कलक्टर बूंदी ने अपने आदेश क्रमांक 46 दिनांक 21.5.1996 के द्वारा के0 पाटन स्थित भूमि के ख0 सं0 783 मे से 5 बीघा भूमि व ख0 सं0–6 बीघा 11 बिस्वा भूमि अर्थात 11 बीघा 11 बिस्वा भूमि निःशुल्क आवंटित की थी जिसके आधार पर भूमि का नक्शा व आवंटित भूमि को राजस्व रिकार्ड मे दर्ज किया गया था। वर्तमान मे अपीलांट रिकार्डेड खातेदार है। उक्त भूमि आवंटन होने के पश्चात दिनांक 20.9.2006 को भू अभिलेख निरीक्षक व पटवारी द्वारा संस्थान के कनिष्ट लिपिक दिनेश धाभाई व कनिष्ठ अनुदेशक श्री हरिमोहन शर्मा की उपस्थिति मे सीमांकन कार्य किया जिसके

आधार पर ही उक्त भूमि पर बाउण्ड्रीवाल का निर्माण कार्य करवाया गया तभी से बाउण्ड्रीवाल यथावत निर्मित है। रेस्पो0 द्वारा उक्त बाउण्ड्रीवाल करने के लगभग 10 वर्ष बाद अर्थात 30.6. 2015 को अधीनस्थ न्यायालय मे वाद दायर किया व भूमि खसरा सं0 1389 रकबा 1.12 है0 की पत्थरगढी की मांग करने पर अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 30.7.2015 को जेरअपील आदेश पारित किया गया। उक्त आदेश अपीलांट क्रम–2 को सुने बिना व मौके की रिपोर्ट मंगवाये बिना पारित किया गया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के सर्वथा विपरीत होने से निरस्त होने योग्य है। संस्थान की भूमि पर बाउण्ड्रीवाल बनी हुई है उसके पास ही सेनेट्री लाईट का सेफ्टी टेंक बना है जो लगभग 50X21 वर्गमीटर है और वाटर हारवेस्टिंग लाईन के चेम्बर व लाईन बने हुये उक्त निर्णय की पालना मे उक्त निर्माण को हटाया गया तो अपीलांट को अपूर्णीय क्षति होगी एंव उक्त निर्माण राजकीय हित मे करवाया गया है। उक्त निर्णय की जानकारी दिनांक 6.11.2019 को होने पर निर्णय की प्रतिलिपी प्राप्त कर अपील मियाद अधिनियम की धारा 5 के साथ पेश की गई है अतः आदेश की दिनांक से नकल प्राप्ति की दिनांक तक का डिले कन्डोन किया जाकर अपील अवधि मध्य मानी जाकर स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का जेरअपील निर्णय दिनांक30.7.2015 निरस्त करने की इस्तदुआ की गई।

2 अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील, दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये सम्मन आहूत किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने पर प्रकरण मे बहस विद्वान अभिभाषक उभय पक्षकार सुनी गई।

3 अपीलांट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस मे अपील मीमों मे कहे गये कथनों को ही दोहराया तथा कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट क्रम–2 का जवाब व मौका रिपोर्ट लिये बिना जेरअपील आदेश पारित किया है। जिला कलक्टर बूंदी ने आदेश क्रमांक 46 दिनांक 21.5.1996 के द्वारा के0 पाटन स्थित भूमि के ख0 सं0 783 मे से 5 बीघा भूमि व ख0 सं0784 मे से 6 बीघा 11 बिस्वा भूमि अर्थात 11 बीघा 11 बिस्वा भूमि निःशुल्क राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के0 पाटन के भवन निर्माण बावत आवंटित की थी। वर्तमान मे अपीलांट उक्त आवंटित भूमि का रिकार्डेड खातेदार है। संस्थान द्वारा उक्त भूमि पर बाउण्ड्रीवाल बनी हुई है उसके पास ही सेनेट्री लाईट का सेफ्टी टेंक और वाटर हारवेस्टिंग लाईन के चेम्बर व लाईन बने हुये उक्त निर्णय की पालना मे उक्त निर्माण को हटाया गया तो अपीलांट को अपूर्णीय क्षति होगी एंव उक्त निर्माण राजकीय हित मे करवाया गया है। रेस्पो0 द्वारा बाउण्ड्रीवाल करने के लगभग 10 वर्ष बाद अर्थात 30.6.2015 को पत्थरगढी हेतु प्रा0 पत्र पेश किया है जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 30.7.2015 को जेरअपील आदेश पारित किया गया। उक्त आदेश अपीलांट क्रम–2 को सुने बिना व मौके की रिपोर्ट मंगवाये बिना पारित किया गया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के सर्वथा विपरीत होने से निरस्त होने योग्य है। अन्त मे अपील स्वीकार करने का अनुरोध किया।

4. विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 ने प्रकरण मे लिखित बहस पेश की गई जिसके संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि ख0 सं0 1389 रकबा 1.12 है0 वाके माल के0 पाटन का रेस्पो0 रिकार्डेड खातेदार है। उक्त भूमि के सहारे खसरा सं0 1390 रकबा 1.01 है0 भूमि है जो वर्तमान मे औधोगिक प्रशिक्षण संस्थान के0 पाटन के खाते दर्ज चली आ रही है। राज्य सरकार द्वारा उक्त समय पर सही सीमाज्ञान नही करके आईटीआई के खाते मे दर्ज करदी जहां वर्तमान मे आईटीआई स्कूल बना हुआ है। रेस्पो0 को अंदेशा है कि उसके खाते की कुछ भूमि आईटीआई स्कूल मे चली

गई इस वजह से पत्थरगढी हेतु आदेश जारी करवाया गया है। रेस्पो0 ने पत्थरगढी कराने के लिये इंकार करने पर उसके द्वारा खाते की भूमि मे पत्थरगढी कराने हेतु आवेदन करने पर अधीनस्थ न्यायालय ने जेरअपील निर्णय पारित किया है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत है। अपील खारिज की जावे।

5. हमने पत्रावली का आध्योपांत अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक उभय पक्षकार पर मनन किया। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील मियाद बाहर है डिले कन्डोन हेतु प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम के साथ पेश की है। अतः अपील का गुणावगुण के आधार पर विचार करने से पूर्व मियाद के बिन्दू को निर्णित किया जाना न्यायोचित है। प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एंव प्रस्तुत शपथ पत्र मे जेरअपील निर्णय की जानकारी 6.11.2019 को आदेश आने पर होना वर्णित किया है। रेस्पो0 द्वारा शपथ पत्र मे वर्णित तथ्यों का खण्डन नही किया है ना ही खण्डन मे कोई प्रतिउत्तर ही प्रस्तुत किया है। ऐसी स्थिति मे शपथ पत्र मे वर्णित तथ्यों को अविश्वसनीय माने जाने का पत्रावली मे कोई आधार अभिलेख उपलब्ध नही है। लिहाजा अपील पेश करने मे हुई देरी सद्भाविक होने से प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार कर डिले कन्डोन किया जाकर अपील को अवधि मध्य माना जाता है।

6. पत्रावली का गुणावगुण के आधार पर अवलोकन बहा विद्वान अभिभाषक उभय पक्षकार पर मनन करने उपरांत हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते है कि रेस्पो0 द्वारा उसके खाते दर्ज भूमि पर पत्थरगढी हेतु आवेदन किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अपीलांट(अप्रार्थीगण) को जरिये सम्मन आहूत किया गया। अपीलांट क्रम–2 बावजूद सूचना के हाजिर नही होने पर उसके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही की गई। अपीलांट क्रम–1 द्वारा जवाब प्रस्तुत कर जिला कलक्टर बूंदी द्वारा आदेश क्रमांक 46 दिनांक 21.5.1996 के द्वारा ख0 सं0 783 मे से 5 बीघा भूमि व ख0 सं0 784 मे से 6 बीघा 11 बिस्वा भूमि अर्थात 11 बीघा 11 बिस्वा भूमि वाके माल के0 पाटन की निःशुल्क राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के0 पाटन के भवन निर्माण बावत आंवटन किया गया। उक्त आवंटन अनुसार भूमि को तहसीलदार के0 पाटन द्वारा संभलाया गया जिसके अनुरूप बाउण्ड्रीवाल यथावत निर्मित होना वर्णित किया। अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पो0 (प्रार्थी) द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बावत पत्थरगढी एंव जवाब अपीलांट क्रम–1 का समचित परीक्षण कर भूमि ख0 सं0 1389 रकबा 1.12 है0 वाके ग्राम के0 पाटन का रेस्पो0 (प्रार्थी) रिकार्डेड खातेदार होने से वह पत्थरगढी कराने का कानूनन अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र जेरअपील निर्णय दिनांक 30.7.2015 से स्वीकार कर तहसीलदार के0 पाटन को ख0 सं0 1389 रकबा 1.12 है0 वाके ग्राम के0 पाटन की पत्थरगढी निर्धारित पत्थरगढी शुल्क जमा करवाकर प्रार्थी व अप्रार्थी (पक्षकारान) की उपस्थिति मे करवाने के आदेश/निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय का आलौच्य उक्त निर्णय दिनांक 30.7.2015 विधिसम्मत होने से किसी प्रकार के हस्तक्षेप की गुजाइश नही है। परिणामस्वरूप अपील अपीलांट सारहीन/बलहीन होने से खारिज की जाती है।

7. निर्णय आज दिनांक 27.10.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया/टंकित कराया जाकर बाद हस्ताक्षरित न्यायालय की मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

(अनुराग भार्गव)
अति0 संभागीय आयुक्त
कोटा